

मेवाड़ की 28 सीटों में 17 आदिवासी सीटें हैं

इन 28 सीटों में से केवल छः में कांग्रेस जीती थी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जुलाई। डॉ. सी. पी. जोशी ने उदयपुर के मेवाड़ डिवीजन में एक रैली का आयोजन किया, जो एक आदिवासी बहुल इलाका है। इस रैली में एक भी आदिवासी नेता को मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया।
अब पार्टी के लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बैठक का मकसद पार्टी को आदिवासियों से जोड़ना था या उन्हें अपमानित करना और नीचा दिखाना?
ये सवाल सिर्फ उदयपुर से नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान से उठ रहे हैं।
रैली में वरिष्ठ आदिवासी नेता रघुवीर सिंह मीणा भी मौजूद थे, जो कांग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य और मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भी बोलने का मौका नहीं मिला।
इस इलाके की 28 सीटों में से 17 सीटें आदिवासी वर्ग की हैं।
यहाँ कांग्रेस को आदिवासी पार्टी बीएपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसके पास एक सांसद हैं, तीन विधायक हैं और दो सीटों पर वह बहुत कम अंतर से हारी थी तथा दूसरे नम्बर पर रही थी।
इस रैली में पार्टी के कई बड़े नेता बुलाए गए थे, जैसे एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी रंधावा, प्रदेश कांग्रेस

- सी.पी. जोशी अपने आपको मेवाड़ का नेता जताते हैं। अतः उन्होंने, उदयपुर ट्राइबल्स का सम्मेलन आयोजित किया, पर, मंच से किसी आदिवासी को बोलने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक की रघुवीर मीणा, जो सी.डब्ल्यू.सी. सदस्य रहे हैं तथा पूर्व मंत्री भी हैं, मंच पर बैठे, पर श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सके।
- चर्चा यह है कि गहलोत ने यह राजनीतिक, जाल बिछाया हैं, जिसके तहत जोधपुर में उनका आधिपत्य रहेगा, उदयपुर में सी.पी. जोशी का और कोटा में शांति धारीवाल का तथा इन क्षेत्रों से सचिन पायलट को बाहर ही रखा जाएगा, रैलियों से, आम सभाओं से तथा कांग्रेस के अन्य आयोजनों से।
- पर समस्या यह है कि पिछले चुनाव में, जिन संभागों में इन वरिष्ठ नेताओं की चलती थी, वहाँ कांग्रेस बुरी तरह हारी थी।
- क्या उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के इस आयोजन में आदिवासी वोटर को साधना था या केवल दिल्ली को अपनी तथाकथित सक्रियता दिखानी, जिससे दिल्ली में कुछ स्थान मिल जाए। इस संदर्भ में सी.पी. जोशी ने दिल्ली की यात्रा की, वेणुगोपाल तथा मनिकम टेंगोर से सम्पर्क साधने का प्रयास किया।
- क्या इसी प्रयास में दिल्ली से पवन खेड़ा को बुलाया गया। हालांकि, वे आदिवासी नहीं हैं।

अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटानरा, कांग्रेस विधायक दल के नेता टीका राम जुली आदि। दिल्ली से मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा को भी बुलाया गया था।
ऐसा माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता, जैसे अशोक गहलोत, सी. पी. जोशी और अन्य, अपने-अपने क्षेत्रों पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जैसे गहलोत जोधपुर में, जोशी उदयपुर में और शांति धारीवाल कोटा में। और इसके पीछे का मकसद सचिन पायलट को किनारे करना है।
गहलोत की राजनीति की सोच स्पष्ट रूप से यही है कि पायलट को जितना हो सके, रैलियों से दूर रखा जाए।
समस्या यह है कि पिछले चुनावों में जिन इलाकों पर इन वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव था, वहाँ कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उस समय के मुख्यमंत्री (गहलोत) ने कई ऐसे उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की, जो उनके विरोधी खेमे से जुड़े थे।
अब मेवाड़ में आदिवासी पार्टी बीएपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है, लेकिन इसके बावजूद सी. पी. जोशी ने किसी भी आदिवासी नेता को मंच पर बोलने नहीं दिया।
ऐसे में यह सवाल उठता है कि रंधावा वहाँ क्या कर रहे थे? क्या यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने मलिंगा का केस धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर किया

जयपुर, 7 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गिरांज सिंह मलिंगा की ओर से बिजली विभाग के एईएन से मारपीट के मामले में धौलपुर की अदालत में चल रहे मुकदमे को जयपुर जिले की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पीडित हर्षाधिपति की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को सुनवाई के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने को कहा।

मारपीट के अन्य प्रकरण भी दर्ज हैं। ऐसे में मारपीट के इस केस को ट्रांसफर करना उचित है। इसके साथ ही अदालत ने जयपुर पुलिस आयुक्त को कहा है कि वे प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करेंगे। इसके अलावा धौलपुर एसपी गवाहों समन व नोटिस तामील कराने में सहयोग देंगे। अदालत ने मामले को त्वरित सुनवाई के लिए केस ऑफिसर स्क्रीम के तहत एक एसआई और दो एएसआई को भी सहयोग देने के लिए कहा है।
आपराधिक याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दलाई लामा के जन्म दिवस समारोह में केन्द्रीय मंत्री रिजिजु, अरूणाचल के मु.मंत्री आदि उपस्थित रहे

इस उपस्थिति तथा प्र.मंत्री द्वारा दलाई लामा को बधाई देने से भारत का मैसेज साफ था कि भारत, चीन की स्थिति अटपटी करने के ऐसे मौके छोड़ेगा नहीं, जब तक चीन भारत के हितों का ध्यान नहीं रखेगा

- अपने 90वें जन्म दिन पर दलाई लामा ने पुरजोर ढंग से कहा कि उनका उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म की पुरानी परम्परा के अनुसार ही चुना जायेगा, पर चीन चाहता है, उत्तराधिकारी के चयन में उसकी निर्णायक भूमिका होनी चाहिए।
- चीन चाहता है, संभावित उम्मीदवारों के नाम की चिट एक “जाए” में रख दी जाए तथा पर्ची निकाल कर नये दलाई लामा का नाम घोषित हो।
- इसे इतिहास व परम्पराओं का उपहास मानते हैं, दलाई लामा व बौद्ध अनुयायी। इनके अनुसार, दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है तथा किस व्यक्ति के रूप में दलाई लामा ने पुनर्जन्म लिया, उसको पहचानने की एक धार्मिक परम्परा व पद्धति है।
- पिछली बार दलाई लामा ने जिस बच्चे का चयन किया था, उसका अपहरण कर लिया था। चीन की सरकार ने, और अभी तक पता नहीं चला वह कहाँ गया।

नहीं। सेना के उप प्रमुख ने पहले ही खुलासा किया था कि पाकिस्तान को हाल

ही में “ऑपरेशन सिंदूर”, जो पाकिस्तानी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘3 से 5 करोड़ के बदले निजी मैडिकल कॉलेज को मान्यता देते हैं, हैल्थ मिनिस्ट्री के अफसर’

कांग्रेस ने देश भर के 40 निजी मैडिकल कॉलेजों को नैशनल मैडिकल कमीशन (एन.एम.सी.) द्वारा मान्यता देने में करोड़ों रूपए के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए दावा किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जुलाई। कांग्रेस ने सोमवार को देशभर के 40 से अधिक निजी मैडिकल कॉलेजों की मान्यता के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें नैशनल मैडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा 3 से 5 करोड़ रुपये तक की रिश्तव, जाली रिकॉर्ड और झूठी निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से यह मान्यता दी गई थी।
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. मोनिका मेहरोत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घोटाले के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, यह एक स्पष्ट मामला है, जिसमें गंभीर लापरवाही और व्यवस्थित भ्रष्टाचार हुआ है, और यह सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा तंत्र है, जो यह जांच कर सके कि मान्यताएँ किस आधार पर दी गई थीं।
उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं का

- कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. मोनिका मेहरोत्रा ने कहा कि यह संगठित भ्रष्टाचार का मामला है, और पूछा कि क्या यह जानने का कोई मैकनिज्म है कि एन.एम.सी. द्वारा निजी कॉलेजों को किस आधार पर मान्यता दी जाती है।
- कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह सारी कहानी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में शुरू हुई है। निजी मैडिकल कॉलेजों की मंजूरी से संबंधित दस्तावेज़ अफसर ही लीक करते थे।
- उन्होंने कहा, इन दस्तावेज़ों में आंतरिक नोटिंग, निरीक्षण के कार्यक्रम, निरीक्षण करने वाले अफसर आदि की जानकारी होती है। यह जानकारी निजी मैडिकल कॉलेजों के एजेन्ट्स को दे दी जाती है। फिर वे निरीक्षण के समय फर्जी फैकल्टी, नकली मरीज, नकली बायोमैट्रिक की व्यवस्था करते हैं। कई बार तो इस सब में अधिकारी ही उनकी मदद करते हैं।

जयपुर, 7 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता की बहस अधूरी रहने पर अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार को तय की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया,

- महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने याचिका को सारहीन बताया।

जिसमें याचिका को सारहीन बताया गया व खारिज करने की गुहार की गई। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने समान मामले में पूर्व में भी याचिका दाखल की थी। हालांकि बाद में याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने के आधार पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता ने यह तथ्य अदालत से छिपाया है। इसके अलावा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जज के पद पर नियुक्ति के लम्बे इंतज़ार से उकताकर दावेदारी वापस ले रहे हैं कई वरिष्ठ वकील

वकीलों का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की अनुशंसा के बाद भी उनकी नियुक्ति में टालमटोल की जा रही है

- मुम्बई के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सुधाकर दातार सहित चार वकीलों को सितम्बर 2024 में हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। सुधाकर ने कहा, दो जज को शपथ दिलाई गई है। पर, उनकी फाइल जस की तस है। यह इंतज़ार अपमानजनक है, इसलिए मैंने दावेदारी वापस ले ली है।
- दिल्ली के एक वरिष्ठ वकील श्वेताश्री मजूमदार को भी अगस्त 2024 में हाई कोर्ट का जज बनाने की अनुशंसा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम द्वारा। श्वेताश्री का मैडिकल टेस्ट एक अन्य दावेदार तेजस कारिया के साथ हुआ था। कारिया को तो नियुक्ति मिल गई, पर, श्वेताश्री को नहीं, श्वेताश्री ने भी दावेदारी वापस ले ली है।

क्योंकि नौ महीने हो गए हैं और उनकी फाइल अभी भी वहीं की वहीं है। कोलीजियम ने सितंबर 2024 में चार नामों की अनुशंसा की थी, जस्टिस अनखड़ और नेलीकर ने 5 जुलाई को शपथ ली। दातार कहते हैं कि वे 55 साल

नुकसान पहुंचाएगा।
एडवोकेट श्वेताश्री मजूमदार, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के केसों के लिए जानी जाती हैं, ने कुछ दिन पहले अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जबकि अगस्त 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। उनका मैडिकल टेस्ट तेजस कारिया के साथ हुआ था, जिनकी नियुक्ति को 12 फरवरी को मंजूरी दे दी गई।
क्रारिया, अजय डिगपॉल तथा हरीश वैद्यनाथन शंकर, जो एक ही बैच का हिस्सा थे, के नाम केन्द्र द्वारा इस साल की शुरुआत में मंजूर किए गए थे।
नियुक्तियों में देरी ने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें केन्द्र “पिक एंड चूज़” का तरीका अपना रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सीरम किरपाल, जिनकी दिल्ली उच्च न्यायालय में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थप्पड़ कांड में निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक

जयपुर, 7 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान के दौरान बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में टोंक की एससी, एसटी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक

- मतदान के दौरान बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा की रिविजन याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की रिबीजन याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शताब्दी वर्ष में एक लाख स्थानों पर हिंदू सम्मेलन करेगा संघ

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष में समाज के हर वर्ग से सम्पर्क करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा और सामाजिक बुराइयों को दूर करने और धर्म-जागरण के लिए देश में

- आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि इनका आयोजन हिंदुओं में धार्मिक पुनर्जागरण के लिए किया जा रहा है।

एक लाख से ज्यादा स्थानों पर ‘हिंदू सम्मेलन’ आयोजित करेगा।
इस अभियान के तहत, संघ के कार्यक्रमों घर-घर जाकर लोगों से सम्पर्क-संवाद करेंगे। आरएसएस के प्रति प्रचारकों के तीन दिवसीय सम्मेलन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोहर्रम जुलूस में नाबालिग की हत्या के मामले में 11 जने डिटैन

मोहर्रम के जुलूस में शामिल नाबालिग की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी

चूरू, (निसं)। मोहर्रम के जुलूस में 17 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 जनों को डिटैन किया है।

डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि रविवार शाम मोहर्रम के जुलूस में शामिल नाबालिग की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। डीएसपी झाझड़िया ने बताया कि नाबालिग की हत्या के बाद दर्ज मामले में अज्ञात हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने शहर में रातभर दबीश देकर करीब 11 जनों को डिटैन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान भी अस्पताल में एहतिहात के तौर पर तीन थानों की पुलिस और आर.ए.सी. की टुकड़ी तैनात की गई।

जुलूस में हुई थी कहासुनी :- डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि



नाबालिग की मौत के बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गयी।

पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि जुलूस के दौरान मृतक और उसके साथ चल रहे युवकों का आपस में कंथा टकराया था और उसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद नाबालिग की साथ चल रहे युवकों ने पिटाई कर

दी, पिटाई में गंभीर रूप से घायल नाबालिग को अस्पताल लाये जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि वारदात के बाद से पुलिस ने वारदात स्थल के आस-पास के

दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगालकर 11जनों को डिटैन किया है।

राठौड़ और मंडेलिया पहुंचे थे अस्पताल :-नाबालिग की मौत के बाद अस्पताल में रविवार देर शाम अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गयी

- **मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान भी अस्पताल में एहतिहात के तौर पर तीन थानों की पुलिस और आर.ए.सी. की टुकड़ी तैनात रही**
- **जुलूस के दौरान मृतक और उसके साथ चल रहे युवकों का आपस में कंथा टकराया था और इसी को लेकर कहासुनी हुई थी**

थी और अस्पताल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की।

अजमेर एलिवेटेड रोड क्षतिग्रस्त मामला : कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की

अजमेर, (कासं)। प्रदेश में सक्रिय मानसून के बाद गत दिनों अजमेर में हुई मूसलाधार बरसात के बाद स्मार्ट सिटी योजना में 275 करोड़ की लागत से बने एलिवेटेड रोड (रामसेतु ब्रिज) की नसिया वाले मार्ग की भुजा की सड़क धंस जाने (क्षतिग्रस्त) होने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। शहर के जागरुक नागरिकों द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

शिविर में भूमि विवाद का आपसी सहमति से निपटारा
अराई, (निसं)। सांदोलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा, तहसीलदार हरिराम के संतिन्ध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वर्षों पुराने भूमि विवाद का आपसी सहमति से बंटवारा हुआ।

एसडीओ शर्मा ने बताया कि सांदोलिया के काश्तकारों खातेदार राजी देवी पत्नी श्योजी जाट व श्योजी जाट पुत्र रतना जाट ने पिछले 12 वर्षों से अटक के बंटवारे के बारे में बताया, जिस पर एसडीओ ने बंटवारे का आवेदन करवा मौके पर ही तहसीलदार की निर्देश दिए। तहसीलदार हरिराम ने शिविर में ही कार्रवाई करते आपसी सहमति से बंटवारा का निपटारा करवाया। शिविर में राजस्व विभाग ने सीमा ज्ञान, नामान्तरण, आपसी सहमति से बंटवारा, पशुपालन विभाग ने टीकाकरण, पंचायतीराज विभाग ने स्वामित्व कांड/पट्टे, खाद्य विभाग ने आधार सर्टिफिकेट एवं ईकेवासी संबंधी कार्य मौके पर किये।

ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा में अंत्योदय शिविर में ग्रामीणों ने समस्याएं उठाई

पाटन, (निसं)। ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा में सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सबल पखवाड़े के अंतर्गत एक दिवसीय जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी

- **अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की**
- **लोक देवता बाबा झुझार सेवा समिति ने बाबा झुझार मंदिर भूमि को मंदिर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा**

में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। कैप में मुख्य रूप से नीमकाथाना एसडीएम राजवीर यादव, पाटन तहसीलदार सुधाष चंद्र, नायब तहसीलदार भोम सिंह मोणा, पाटन



शिविर में ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया।

प्रधान सुवालाल सैनी, सरपंच अनिल कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। ग्रामीणों ने जोहड़ में पानी की आवक की समस्या, गांव की भूमि पर क्रूर मालिक द्वारा किए गए अवैध कब्जे और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। इन समस्याओं

को प्राथमिकता से सुनते हुए अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर लोक देवता बाबा झुझार सेवा समिति द्वारा बाबा झुझार मंदिर भूमि को मंदिर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा झुझार सैकड़ों वर्ष पूर्व गायों की रक्षा करते हुए युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए थे

और उनका नाम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में दर्ज है। आज भी वे गांव में लोकदेवता के रूप में पूजे जाते हैं, किंतु मंदिर की भूमि अब तक राजस्व अभिलेखों में शामिल नहीं हो पाई है। शिविर में आए ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और प्रशासन से उम्मीद जताई कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का अब स्थायी समाधान होगा।

नवजात भ्रूण मिला

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के शाहपुरा कस्बे में एक बार फिर मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। उम्मेद सागर रोड स्थित पानी की टंकी के सामने एक नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। यह भ्रूण लगभग 8 से 9 महीने का बताया जा रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि जन्म के तुरंत बाद उसे यहां फेंका गया होगा। घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर पीतांबर, पुलिस चौकी ईंचां बदन सिंह तथा बनवारी कुमारवत सहित अन्य पुलिसकर्मियों घटनास्थल पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। शाहपुरा में इस प्रकार की दूसरी घटना है, जिससे आमजन मेंआक्रोश व चिंता का माहौल है।

जानकारी मिलते ही शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर पीतांबर, पुलिस चौकी ईंचां बदन सिंह तथा बनवारी कुमारवत सहित अन्य पुलिसकर्मियों घटनास्थल पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। शाहपुरा में इस प्रकार की दूसरी घटना है, जिससे आमजन मेंआक्रोश व चिंता का माहौल है।

सहदेव हत्या प्रकरण : अपहरण करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। नागौर के बहुचर्चित सहदेव हत्याकांड मामले में सिविल लाईंस थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल जाट व उसकी पत्नी ललिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपहरण व हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दम्पती को नागौर से दबोचा। आरोपियों ने सहदेव का अपहरण व हत्या का षड़यंत्र रचा था।

सिविल लाइन थाना प्रभारी शम्भूसिंह शेखावत ने बताया कि नागौर के जायल निवासी सहदेव जाट का अपहरण व हत्या के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी नागौर के कुचरा खेड़ा निवासी ललिता उर्फ लौकी उसके पति महिपाल जाट पुत्र जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिपाल और उसकी पत्नी ललिता ने

बीट अधिकारी पर प्रार्थी के साथ कथित रूप से मारपीट का आरोप

पाटन, (निसं)। डाबला थाना क्षेत्र के ढाणी सुराली/रतननगर निवासी रविंद्र सिंह के साथ पुलिसकर्मों द्वारा अभद्रता एवं मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है। रविंद्र सिंह ने बताया कि वह चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाबला थाने गया था, जहां मौजूद सिपाही पवन कुमार बल्डोदिया ने स्वयं को बीट अधिकारी बताकर उनके साथ गाली-गलौच एवं अभद्र व्यवहार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 तारीख की रात लगभग नौ बजे, डाबला रेलवे स्टेशन पर कार्यरत राहुल माथुर ने शराब के नशे में सिपाही पवन कुमार बल्डोदिया से रविंद्र सिंह को फोन करवाकर स्टेशन बुलवाया। स्टेशन पर पहले से मौजूद पवन कुमार बल्डोदिया सिपाही, राहुल माथुर एवं तीन अन्य पुलिसकर्मियों ने रविंद्र सिंह को सरकारी गाड़ी में बैठाया और वहां सिपाही पवन ने रविंद्र सिंह के मुंह एवं कान पर गंभीर चोट पहुंचाई। इसके बाद रविंद्र सिंह को

- **पीड़ित का मारपीट से कान का पर्दा फटा, उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार की**

थाने ले जाकर कंप्यूटर कक्ष में बंद किया, जहां सिपाही पवन कुमार बल्डोदिया और थानाधिकारी राजवीर सिंह ने कथित रूप से दुर्व्यवहार करते हुए बुरी तरह मारपीट की। इस हमले में रविंद्र सिंह के कान का पर्दा फट गया और उनके मुंह व पैर पर गंभीर चोटें आईं। सूत्रों के अनुसार, पवन कुमार बल्डोदिया डाबला चौकी के समय से ही इस क्षेत्र में बीट अधिकारी के रूप में तैनात रहा है। चौकी के थाने में उष्यन के बाद भी उसकी ड्यूटी यहीं पर बनी हुई है, जिससे वह थाने को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हुए मनमाना व्यवहार करता है।

प्रार्थी रविंद्र सिंह ने बताया कि

एनजीटी ने काटे गये पेड़ों के बदले पौधे लगाने के लिए जवाब मांगा

भीलवाड़ा, (निसं)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जेनेल बैंच भोपाल के न्यायाधिपति शिवकुमार सिंह व एक्सपर्ट मेम्बर डॉ. ए. सेंथिल की बैंच ने भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह कच्छावा के मार्फत दायर जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा काटे गये पेड़ों के बदले नियमानुसार 3 गुने, 5 गुने एवं 10 गुने पौधे नहीं लगाने एवं

सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में जीवित पौधों की अत्यधिक कम संख्या के मामले में चेयरमैन, नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, क्षेत्रीय अधिकारी एनएचएआई जयपुर एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

जाजू ने याचिका में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा वृक्षारोपण कार्य में नियमों की उपेक्षा की गई है, अनेक

- **‘नियमानुसार 8.5 लाख पौधे और लगाने की आवश्यकता है’**

राजमार्गों पर काटे गये पेड़ों से भी कम संख्या में पौधे लगाये गये हैं, जिन प्रजातियों के पौधे काटे, उन स्थानीय प्रजातियों के पौधे नहीं लगाकर झाड़ियां लगा दी गई है तथा काटे गए पेड़ों के बदले लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या के संबंध में कोई समान नीति होने, रखरखाव व्यवस्था नहीं करने के कारण लगाये गये पौधों के जीवित रहने की दर बहुत कम है। वन मंत्रालय द्वारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और ऑडिट हेतु फोरेस्ट डिपार्टमेंट को निर्देशित करने के बावजूद वन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित नहीं किया गया है। प्रदेश में राजमार्ग बनाने के लिए बड़ी संख्या में काटे गये लाखों विशालकाय पेड़ों के बदले नियमानुसार पौधे लगाकर पल्लवित कर बढ़े करने पर ध्यान नहीं दिये जाने से पौधे जीवित ही नहीं बचे हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या गहरा रही

- **आरोपी अपहरण व हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे, दम्पती को नागौर से दबोचा**

ही अपने साडू व बहनोई सहदेव जाट को अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से अगवाकर सबक सिखाने का षड़यंत्र रचा था। महिलाल ने ससुर व चाचा ससुर की मदद से सहदेव को पुरानी आरपीएससी भवन के सामने से अगवा किया था। फिर हत्या कर शव को जायल तेजासर के निकट खेत में फेंक दिया था। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ललिता नाराज थी कि सहदेव उसकी बहन करिश्मा को भागकर ले गया। 13 जून को सहदेव परीक्षा देने के लिए अपने दोस्त के साथ अजमेर आया था। उसी दिन आरोपी ललिता भी

परीक्षा देने अजमेर आई थी। ललिता के साथ उसका पति महिलाल भी था। दोनों ने रोडवेज बस स्टैंड पर सहदेव को बहला-फुसलाकर कैप पर गाड़ी में डालकर अपहरण के फरार हो गए। इसके बाद करिश्मा के पिता और अन्य लोगों ने युवक सहदेव की हत्या की थी, इसके बाद शव रातगा गांव के खेत में फेंककर भाग गए थे।

सिविल लाइन थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि मामले में अब तक कैप पर झड़वर नागौर निवासी कैलाश राम, करिश्मा के पहले पति का चाचा ससुर कुन्नाराम, करिश्मा की बड़ी बहन के पति राजू का रिश्तेदार ओमप्रकाश, करिश्मा का चाचा रामकिशोर तथा करिश्मा की बड़ी बहन ललिता और

उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है और उनसे उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे, साथ ही अपराधियों में डर का माहौल बने।

गौरतलब है इन दिनों डाबला थाना सुर्खियों में बना हुआ है कभी होटल में पैसा नहीं देने का वीडियो वायरल होता है तो कभी आमजन के साथ गलत व्यवहार की शिकायतें वायरल होती हैं। इस बारे में डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि रविंद्र सिंह के खिलाफ राहुल माथुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रविंद्र सिंह भरे को मारने की धमकी दे रहा है, बेवजह मुझसे झगड़ा कर रहा है। इस पर पवन कुमार को भेज कर उसको थाने लाया गया। अब यह बेवजह मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है।

एनजीटी ने काटे गये पेड़ों के बदले पौधे लगाने के लिए जवाब मांगा

है। राजमार्गों के दोनों ओर पौधे अधिक प्राणवायु और अधिक उम्र के पौधे लगाने के बजाय डिवाइडर में झाड़ियां रोपित कर पेड़ों की संख्या में उनकी गिनती करा दी गई है।

जाजू ने बताया कि काटे गये पेड़ों के बदले नियमानुसार पौधारोपण में अब 8.5 लाख से अधिक पौधे और लगाकर उन्हें बढ़ा करने की आवश्यकता है। जाजू ने याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 2015 में जारी मुख्य राजमार्गों, वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव नीति एवं पर्यावरण नीति दिशा निर्देश 2024 का उल्लेख करते हुए एनएचएआई द्वारा नीति का उल्लंघन किया जाना बताया है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण योजनाओं को तैयार करते समय अक्सर एवेन्यू प्लांटेशन और लैंडस्केप सुधार के लिए आवश्यक भूमि पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण राजमार्ग निर्माण के बाद वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती है। जाजू ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

उसके जीजा महिपाल को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में पिता सहित तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। करिश्मा नागौर के धारणा गांव की रहने वाली थी, मरज 11-12 साल की थी, जब माता-पिता और परिवार वालों ने उसका बाल विवाह तय कर दिया था, उसने बाल विवाह स्वीकार नहीं किया था। इस बीच वह पास के ही तरनाऊ गांव में नर्सिंग की पढ़ाई करने कॉलेज गई थी। वहां कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर सहदेव भाकर से प्यार हो गया था। तब सहदेव के साथ जीवन बिताने की कसमें खाई थी। उसके बाद सहदेव भाकर के घर रातगा गांव में ही दोनों रहने लगे थे। करिश्मा के परिवार ने सहदेव को जान से मारने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि सहदेव की हत्या के बाद करिश्मा ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित खदानों के सम्मान समारोह में 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने 7 व 5 स्टार माइन्स को सम्मनित किया

भारतीय खान ब्यूरो खनन गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक उत्तर दायित्व के आधार पर खदानों की रेटिंग करता है

जयपुर, 7 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन में अग्रणी बने। उन्होंने उधिमयों का आ न करते हुए कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वे प्रदेश में निवेश करें, राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।

शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार रेटिंग प्रणाली खनन गतिविधियों की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पुरस्कृत खदानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान में भी खदानों का इस तरह से मूल्यांकन कर रेटिंग देने का नवाचार किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से 2024-25 में राजस्थान की रॉयल्टी में गत वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

■ बैठक में मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, नीलामी प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिजों की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित एवं तीव्र खनन पर विशेष बल दे रहे हैं।

इस दिशा में राजस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

‘3 से 5 करोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की रिश्तत निजी संस्थानों से ली गई थी, ताकि एनएमसी की मान्यता मिल सके, चाहे मेडिकल बुनियादी ढांचा कैसा भी हो।

डॉ. मेहरोत्रा ने कहा, “यह कहानी स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर शुरू हुई, जहाँ अधिकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी से संबंधित संवेदनशील फ़ाइलों को एक्सेस और साझा करते हैं।” ये दस्तावेज, जिसमें आंतरिक नोटिंग, निरीक्षण कार्यक्रम और पहचान की जानकारी होती है, उन्हें गुप्तचर तरीके से मोबाइल के माध्यम से निजी एजेंटों को भेजा जाता है, जो देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए काम करते हैं, और यह सब नकदी के बदले किया जाता है।

उन्होंने कहा, इस प्रारंभिक जानकारी से कॉलेजों को निरीक्षणों का आयोजन करने में सहायता मिलती है, जिसमें नकली फैकल्टी, प्रांक्सि मरीज और जाली बायोमेट्रिक उपस्थिति दिखाई जाती थी, जिससे इन्हें एनएमसी से अनुकूल रिपोर्ट मिलती थी।

डॉ. मेहरोत्रा ने पुष्टि की, निरीक्षण टीमों को नियमित रूप से रिश्तत दी जाती थी, और कुछ मामलों में, अधिकारियों ने कॉलेजों को जाली दस्तावेज व फर्जी योग्यता तय करने में मदद तक दी, ताकि अधिकारियों द्वारा नियामक कार्यवाही पूरी की जा सके और इन कॉलेजों को मान्यता मिल सके।

शताब्दी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोमवार को यहां केशव कुंज में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज में धर्म जागरण और बुद्धि का दूर करने को लेकर देशभर में मंडल और गांव स्तर पर एक लाख से अधिक जागहों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह खंड और नगर में 11,360 स्थानों पर सामाजिक सद्भाव बैठकें और 924 जिलों में प्रमुख नागरिक गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आगामी दो अक्टूबर, विजयदशमी से शुरू होंगे और एक साल तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जाएगा।

‘अशोक गहलोत सुर्खियों में रहना बंद कर, धरातल पर आयें’

संसदीय कार्यमंत्री जोगा राम पटेल ने कहा कि गहलोत की पार्टी का अध्यक्ष ही उनकी बात खारिज कर रहा है

जोधपुर, 7 जुलाई (कांस)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों को उनकी पार्टी के अध्यक्ष ही खारिज कर रहे हैं। पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र संबंधी बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।

पटेल ने कहा कि वे कहते हैं, सीएम हट जाएंगे, जबकि उनके नेता गोविंद डोटासरा कहते हैं कि सरकार पांच साल चलेगी, गहलोतजी के पास कोई शिगूफा आया होगा। ऐसे में उनको सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए। पटेल ने कहा कि गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ समझौते के लिए बात की है, जिसका जवाब केन्द्रीय मंत्री ने दिया है,

पटेल ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदलने की कोई कवायद नहीं है। हमारे नेतृत्व ने साफ कहा है कि हमारे यहां सीएम पांच साल के लिए बनता है, इसलिए सीएम बदलने का सवाल ही नहीं है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास हो रहा है। इस कारण पीएम खुद तीन दौर लगातार कर चुके हैं, इसलिए भजनलाल शर्मा पूरे पांच साल

मेवाड़ की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी रैलियों और मीटिंगों से पार्टी को फायदा हो? या फिर उनका काम सिर्फ गहलोत और उनके करीबी लोगों को खुश करना ही है?

मेवाड़ की 28 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी, जबकि सी. पी. जोशी खुद को इस इलाके का नेता मानते हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस रैली का मकसद आदिवासियों को पार्टी से जोड़ना नहीं था, बल्कि दिल्ली की राजनीति में पैर जमाने तथा वहाँ कोई पद पाने की कोशिश थी। जोशी दिल्ली अकर के. सी. वेणुगोपाल, माणिकम टैगोर और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अन्य लोगों से मिले, ताकि दिल्ली में कोई पद मिल सके। शाहद इसी वजह से पवन खेड़ा को बुलाया गया, जबकि वे आदिवासी नहीं हैं।

अपना पद बचाने के लिए, रंधावा अब वेणुगोपाल के करीबी हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को लेकर उनकी भूमिका और ज्यादा विवाद पैदा कर रही है।

■ बिहार में सैनेटरी पैड पर राहुल गांधी का फोटो लगाने संबंधी फेक वीडियो पर अब तक तीन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

तथा कर्नाटक में इस मामले में प्रार्थमिकी दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर तेलंगाना राज्य लीगल सेल अध्यक्ष अधिवक्ता जे. शिवा चरण रेड्डी और समन्वयक अधिवक्ता गुड्डर निखिल रेड्डी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ दर्ज की गई है। कर्नाटक में, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रार्थमिकी दर्ज की गई है।

बिहार मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुनवाई 1 0 जुलाई को

सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बिहार की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को विचार होगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि अदालत गुवार को इस मामले में विचार करेगी।

बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाये जा रहे हैं। विभिन्न

■ बिहार में विधानसभा से पहले मतदाता सूचि के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले का राजनीतिक दलों के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी विरोध कर रही हैं।

राजनीतिक दलों के अलावा, कई स्वयंसेवी संस्थाएं पुनरीक्षण के लिए निर्धारित समय समेत, अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आयोग के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के गत 24 जून को जारी उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

ने इनकार किया है।

मंत्री पटेल ने हनुमान बेनीवाल के उस आरोप का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता बिना अधिकार सरकारी आवास में रह रहे हैं। पटेल ने कहा कि हमारा कोई भी नेता या विधायक बिना अधिकार के सरकारी आवास में नहीं रह रहा है। उनको क्या है कि विधायक नहीं होते हुए ए सीएम आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वे किस हिसाबत से वहां रह रहे हैं। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि नाम हैं तो सूची बताएं।

गुजर आरक्षण को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय कमेटी पर पटेल ने कहा कि सभी विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा ली है। अब समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे, आंदोलन में शामिल लोगों से मिलेंगे। उनकी सुनवाई कर उनका पक्ष जायेंगे। उनको जो न्यायोचित हक मिलना चाहिए, वह दिलाने का प्रयास करेंगे। इससे नाराजगी दूर होगी।

थपड़ कांड...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि प्रकरण साधारण मारपीट का है, जबकि उसे हत्या का प्रयास का बताकर रिपोर्ट दर्ज की गई। बूथ पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए सीसीटीवी और मौके पर मौजूद तहसीलदार के मोबाइल से की गई रिकॉर्डिंग में एसडीएम का गला घोटने जैसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसके अलावा एसडीएम की मेडिकल रिपोर्ट में भी तो गले पर और ना ही शरीर के किसी अन्य हिस्से पर ऐसी कोई प्राणघातक चोट मिली है। मामले में पुलिस ने न सिर्फ वीएनएस की धारा 109 (1) के तहत हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया। वहीं इसी धारा में आरोप पत्र भी पेश कर दिया। दूसरी ओर अदालत ने भी इसी धारा में याचिकाकर्ता पर चार्ज फ्रेम कर दिए। जबकि प्रकरण ज्यादा से ज्यादा साधारण मारपीट का ही बनता है। इसलिए उसके खिलाफ किए गए चार्ज फ्रेम आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकराईट ने निचली अदालत को कलकत्ता पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

एसआई 2021 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती को फिलहाल निरस्त नहीं करने की बात कही है और इसे मुख्यमंत्री स्तर पर भी सहमति दी जा चुकी है। इस याचिका में सब कमेटी के इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाए। यदि याचिकाकर्ता सब कमेटी के निर्णय को चुनौती देना चाहे तो उसके लिए अलग से याचिका दायर कर सकता है।

इस दौरान अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर मामला इतने दिनों तक लंबित क्यों रहा। इसके साथ ही अदालत में पहले की राय को लेकर सारी नोटशीट पेश क्यों नहीं की गई। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली का परीक्षण चल रहा था और मामले में पूरी पारदर्शिता से निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के प्राथम पत्र का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती रद्द करने की मांग आज भी जीवित है। कोर्ट की ओर से बहार-बार कहने के बाद ही भर्ती निरस्त नहीं करने का निर्णय पेश किया गया है। ऐसे में याचिका को सारहीन नहीं कहा जा सकता।